न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना –पत्र नम्बर 13/2021
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्योपतराम पुत्र श्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
प्रार्थी
बनाम

1.पृथ्वीराज पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2.श्योपतराम पुत्र श्री सहीराम जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3.दौलतराम पुत्र श्री सहीराम जाति मेघवंशी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4.सावित्री पुत्री श्री सहीराम पत्नी सुलतान जाति मेघवंशी निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5.विमला पुत्री श्री सहीराम पत्नी अग्रेज सिह सिहमार जाति मेघवंशी निवासी 10 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

अप्रार्थीगण

—:आदेश:—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 16 एमकेएस के खाता संख्या 181/167 खाता श्योपतराम ज.स. 2070–73 के प.न. 174/225 मु.न. 10 के किला नम्बर 9 से 12,19/2, व किला 20 व 21 में कुल 1.644 हैक्ट. बारानी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 16 एमकेएस के खाता संख्या 97/98 खाता पृथ्वीराज ज.स.2070–73 के प.न. 173/225 मु.न. 11 के किला नम्बर 2 से 4, 6 से 8, 14 से 17 व 25 में कुल 2.783 हैक्ट. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पिता सहीराम पुत्र रतूराम के नाम से इसी चक के खाता संख्या 191/85 खाता सहीराम ज.स. 2070–73 के प.न. 173/226 के मु.न. 36 के किला नम्बर 3 से 8, 13 से 15 तथा प.न. 174/226 के मु.न. 37 के किला नं. 1,2,11 में कुल 3.037 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयॉ संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 16 एमकेएस के प.न. 174/225 मु.न. 10 के किला नम्बर 9 से 12,19/2, व किला 20 व 21 में कुल 1.644 हैक्ट. बारानी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नही है। जिसके अभाव में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने में तथा अपने कृषि यन्त्र लाने ले जाने में अत्यधिक असुविधा होती हैं चक 16 एमकेएस के प.न. 173/225 मु.न. 11 के किला नं. 25 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी है तथा इसी प्रकार चक 16 एमकेएस के प.न. 174/226 के मु.न. 37 के किला नं. 1 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पिता स्व. श्री सहीराम पुत्र रतूराम की खातेदारी कृषि भूमि हैं चक 16 एमकेएस के प.न. 173/225 के मु.न. 11 के किला नं. 252 में अथवा इसी चक के प.न. 174/226 मु.न. 37 के किला न. 1 में पत्थर लाईन के चिपते 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागमन कर सकेगा और अपने कृषि उपकरण ला व ले जा सकेगा। प्रार्थी रास्ता के बदले जिला लेवल कमेटी द्वारा तय राशि अदा करने हेतु तैयार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से अलग–2 निवेदन किया कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार रास्ता स्वीकृत करवा देवे तो अप्रार्थीगण प्रार्थी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकार हो गया। इसलिए प्रार्थी माननीय न्यायालय की शरण में आया है। सहीराम पुत्र रतूराम की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान को बतौर अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर चक 16 एमकेएस के प.न. 173/225 मु.न. 11 के किला नम्बर 25 अथवा इसी चक के प.न. 174/226 मु.न. 37 के किला नम्बर 1 में एक बिस्वा चौड़ा रास्ता पत्थर लाईन के चिपता स्वीकार किये जाने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 195 दिनांक 11.05.2022 द्वारा पक्षकार आपस मे सहमत नही होना व प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना एवं रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 16 एमकेएस में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा में से चक 16 एमकेएस के खाता संख्या 97/98 के प.न. 173/225 मु.न. 11 किला न. 25 मे से 16½ x 16½ फुट यानि 0.0013 हेक्टर भूमि पत्थर लाईन से चिपता दक्षिण/पूर्व कोने पर समकोण त्रिभुज ज्यामिति में गैर मुमकिन रास्ता मंजूर किया जाता है। प्रार्थी डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये तथा राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर चालू करवाया जावें। अप्रार्थी संख्या 1 को जमा राशि का भुगतान भू.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिशिचित करावे, तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 11.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/10/22

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नजरी नक्शा रास्ताः–